

ପ୍ରାୟୋଗର କି ୧୫ କି- ବାଟି

ବିଷୟ ବିଷୟ ୧୭-୧୯୯ କି

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-

हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार ।

सेवामें,

- १- श्री राम वृक्ष प्रसाद, संयुक्त सचिव, आवास उ०प्र०शासन, लखनऊ । सचिव, आवास के नामित सदस्य
२- संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ । सचिव, वित्त विभाग के नामित सदस्य
३- सचिव उत्तराखण्ड विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।
४- जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ।
५- जिला मजिस्ट्रेट देहरादून । विशेष आमन्त्री
६- वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के नामित सदस्य
७- बन्दरिया बाग उ०प्र०शासन, लखनऊ ।
७- अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उ०प्र० जल निगम के नामित सदस्य
जल निगम सहारनपुर ।
८- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद हरिद्वार ।
९- अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश ।
१०- अध्यक्ष, नगरपंचायत रानीपुर, हरिद्वार ।
११- अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनि की रेती, टिहरी-गढ़वाल ।
१२- श्रीमती ऊषा भारद्वाज, कृष्णानगर कनखल । गैर सरकारी नामित सदस्य

संख्या: ३१३१ प्रशा०-२(ग)-१-६/६७

दिनांक, २५ फरवरी, १९६६


विषय: हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की २८ वीं बोर्ड बैठक दि० २७-०२-६६ का एजेण्डा प्रेषण ।

महोदय,

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की २८ वीं बोर्ड बैठक अध्यक्ष/आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की अध्यक्षता में दि० २७-०२-६६ को अपराह्न ४.०० बजे प्राधिकरण सभागार हरिद्वार में आयोजित की जा रही है । बैठक का एजेण्डा व एजेण्डा नोटस आपके अवलोकनार्थ संलग्न है । अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट करें ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

भवदीय




सचिव

हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार ।

प्रतिलिपि: सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वितीय तल मेरठ विकास प्राधिकरण को बैठक में भाग लेने हेतु ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।



सचिव

हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार ।

०/८

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 28 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27-2-99 की
 उपस्थिति:-

क्र०सं०	नाम अधिकारी	विभाग का नाम	दूरभाष/ फैक्स न०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1-	श्री सुभाष कुमार,	आयुक्त /अध्यक्ष		
2-	श्री राज कुमार सिंह	उपाध्यक्ष, ह०वि०प्रा		
3-	श्री राजेश कुमार	सूचना विभाग	426695	2/3
4-	आनंद दिव्य	अपर जिना मजिस्ट्रेट	454844/440554	3L
5-	सोहन लता शर्मा	नगर परिषद अध्यक्ष	नगर परिषद	4
6-	उत्तम सिंह राणा	अध्यक्ष, नगर पुनर्वास मनिशरिव	433064	5
7-	राजेश कुमार शर्मा	नगर विकास अधिकारी	451867	3L
8-	शशिन प्रताप सिंह	जिलाधिकारी, हरिद्वार		अक्षर
9-	वी० के० शुक्ल	सहायक निरीक्षक - नगर विकास विभाग	640955	अक्षर
10-	उषा भारद्वाज		413038	उषा भारद्वाज
11-		H.D.A.		
12-				
13-				
14-				
15-				
16-				
17-				
18-				
19-				
20-				

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की २८वीं बैठक दिनांक २७.२.९९ का कार्यवृत्त

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की २८वीं बोर्ड बैठक दिनांक २७.२.९९ को अध्यक्ष/आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

१- श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, सहारनपुर मण्डल	अध्यक्ष
२- श्री राजकुमार सिंह, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
३- श्री आर०पी० सिंह, जिलाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
४- श्री विजय कुमार गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, मेरठ	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के नामित सदस्य
५- श्रीमती उषा भारद्वाज	गैर सरकारी नामित सदस्य
६- श्री राजकुमार अरोड़ा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार	पदेन सदस्य
७- श्रीमती स्नेहलता शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश	पदेन सदस्य
८- श्री उत्तम सिंह राणा, अध्यक्ष, नगरपंचायत, मुनि की रेती	पदेन सदस्य

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण ने इस वित्तीय वर्ष में शमन शुल्क तथा विकास शुल्क में रु० २.०० करोड़ की आय अर्जित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कि प्राधिकरण की स्थापना से अब तक सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि रही है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि कई वर्षों के पश्चात प्राधिकरण को स्टाम्प शुल्क की २ प्रतिशत धनराशि के रूप में लगभग रु० ६७.०० लाख की अतिरिक्त आय भी हुयी है, जिससे प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति प्राधिकरण की स्थापना से अब तक के कार्यकाल में सर्वोत्कृष्ट रही है। उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि माह अगस्त १९९८ से जनवरी १९९९ तक विकास प्राधिकरण की ranking शासन से प्राप्त हो गयी है तथा इन ६ महीनों में हरिद्वार विकास प्राधिकरण प्रदेश के 'सी' श्रेणी के प्राधिकरणों में प्रदेश में निरन्तर प्रथम स्थान पर रहा है। बोर्ड द्वारा इन विशिष्ट उपलब्धियों के लिये प्राधिकरण के कार्यों की सराहना की गयी। इसके उपरान्त बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

मद संख्या-२८.०१ : विगत बोर्ड बैठक दिनांक १५.९.९८ की कार्यवाही की पुष्टि

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दिनांक १५.९.९८ को सम्मन्न हुयी थी। बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नहीं किया गया है, अतः सर्वसम्मति से विगत बैठक दिनांक १५.९.९८ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

S. Kumar
०९/३/९९
प्रभारी सचिव

L. Kumar
०९/३/९९
उपाध्यक्ष

BCG
अध्यक्ष

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 27-2-99 की एजेण्डा सूची

क्र.सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1	विगत बोर्ड बैठक दि० 15-9-98 की कार्यवाही की पुष्टि ।	1
2	विगत बोर्ड बैठक दि० 11-12-98 की कार्यवाही की पुष्टि ।	2
3	विगत बोर्ड बैठक दि० 15-9-98 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।	3 से 15 तक
4	विगत बोर्ड बैठक दि० 11-12-98 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।	16 से 21 तक
5	विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन)संशोधित उपविधि 1998 में आवश्यक परिष्कार के सम्बन्ध में ।	22
6	पुनरीक्षित बजट वर्ष 1998-99	23 से 26 तक
7	प्रस्तावित बजट वर्ष 1999-2000	27 से 31 तक
8	अहमदपुर कडच्छ कनखल की बाई पास स्थित खसरा नं०-747 (निर्मल बाग)के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	32
9	श्री पारस कुमार जैन शेखपुरा उर्फ कनखल में स्थित भूमि के क्रय करने के सम्बन्ध में ।	33
10	श्यामलोक आवासीय योजना की भूमि क्रय एवं विकास कार्य हेतु हुडको से ऋण प्राप्ति के सम्बन्ध में ।	34
11	प्रेमनगर आश्रम के स्वीकृत मानचित्र सं०-366/97 के विकास शुल्क को वापिस करने के सम्बन्ध में ।	35
12	हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना ।	36
13	रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट योजना के सम्बन्ध में ।	37
14	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।	

मद संख्या-२८.०२ : विगत बोर्ड बैठक दिनांक ११.१२.९८ की कार्यवाही की पुष्टि

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दिनांक ११.१२.९८ को सम्पन्न हुयी थी। बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नहीं किया गया है, अतः सर्वसम्मति से विगत बैठक दिनांक ११.१२.९८ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या २८.०३ : विगत बोर्ड बैठक दिनांक १५.०९.९८ में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

विगत बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन/अनुपालन के संबंध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। अनुपालन से सहमत होते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये:-

२८.०३.०१ : ऋधिकेश-मुनि की रेती क्षेत्र की महायोजना के संबंध में बैठक में निर्णय लिया गया कि इस महायोजना के संबंध में सहयुक्त नियोजक, मेरठ द्वारा जो सूचनार्यें मांगी गयी हैं, वह सूचनार्यें दिनांक २०.३.९९ तक उन्हें उपलब्ध करा दी जायें। इसके उपरांत सचिव, ह०वि०प्रा० की अध्यक्षता में गठित समिति एक बैठक दिनांक २०.०४.९९ तक आयोजित कर मामले को अन्तिम रूप देकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

२८.०३.०२ : ग्राम हरिपुर कल्ला जिला देहरादून के खसरा नं० ७८१, ७८४, ३४० नया गाटा संख्या-७८५(क) के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक २०.०४.९९ तक सचिव, ह०वि०प्रा० की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा एक बैठक करके मामले को अन्तिम रूप देकर प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

२८.०३.०३ : हरिद्वार महायोजना भाग-अ की विसंगतियों के संबंध में निर्णय लिया गया कि शासन को इस संबंध में पुनः अनुस्मारक भेज दिया जाय।

२८.०३.०४ : जल निगम पर जो ब्याज आरोपित किया गया है, उसके संबंध में निर्णय लिया गया कि यदि उनके द्वारा देय ब्याज की धनराशि प्राधिकरण में जमा न की जाय तो वसूली हेतु आर०सी० भेज दी जाय।

२८.०३.०५ : शासन के आदेश के अनुसार गंगा नदी के किनारे से २०० मीटर तक किसी भी प्रकार की निर्माण संबंधी गतिविधि अनुमन्य नहीं है। विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह पुनः स्पष्ट किया गया कि डाम कोठी नं०१ तक इस शासनादेश का कड़ाई से पालन कराया जाय। गंगा नदी के किनारे से २०० मीटर तक का क्षेत्र परिभाषित करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग से एक बड़े मानचित्र पर २०० मीटर का क्षेत्र विधिवत अंकित करा दिया जाय तथा इस क्षेत्र के अन्वर कोई भी मानचित्र इत्यादि कदापि न स्वीकृत किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार २०० मीटर की परिधि के भीतर जो भी मानचित्र प्राधिकरण में प्राप्त होते हैं उनपर सिंचाई विभाग से यह आख्या प्राप्त कर ली जाय कि प्रश्नगत स्थल गंगा नदी के किनारे से २०० मीटर की परिधि के भीतर आता है अथवा नहीं।

S. Lamb
09/3/99
प्रभारी सचिव

Lamb
09/3/99
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

मद संख्या 28.01

विषय: विगत बोर्ड बैठक दिनांक 15-9-98 की कार्यवाही की पुष्टि ।

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि० 15-09-98 को सम्पन्न हुई थी । बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है । किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नहीं किया गया है ।

जहां तक शहर के मुख्य नालों पर से अतिक्रमण हटाने का प्रश्न है, बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित नालों पर जिस विभाग का स्वामित्व है वह उसका विस्तृत सर्वे करा ले तथा जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग यथा-सम्भव ऐसे अतिक्रमणों को हटवाना सुनिश्चित करे।

२८.०३.०६ : अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा भूपतवाला क्षेत्र में प्रस्तावित महायोजना संबंधी भू-उपयोग पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में निर्णय लिया गया कि आपत्तियों को निरस्त करते हुये प्रकरण को एजेण्डा से समाप्त कर दिया जाय।

२८.०३.०७ : प्राधिकरण की प्रगति रिपोर्ट के संबंध में विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

(अ) आई०डी०एस०एम०टी० योजना में चल रहे कार्यों को ३१.३.९९ तक पूर्ण कर लिया जाय। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि आई०डी०एस०एम०टी० के संबंध में उनकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कराई जाय तथा उन्हें योजना के कार्यों का निरीक्षण भी कराया जाय।

(ब) हरिद्वार विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि माह अप्रैल १९९९ में योजनाओं के उन आवंटियों के विरुद्ध अभियान चलाया जाय जो बकायेदार हैं तथा उन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय, यदि आवश्यकता पड़े तो उन्हें सम्पत्ति से बेदखल भी किया जाय। इस बारे में नोटिसें तथा अन्य औपचारिकतायें माह मार्च १९९९ में पूर्ण कर ली जायं।

(स) अम्बार शुल्क के बारे में यह देखा लिया जाय कि किस-किस विभाग को कितनी-कितनी धनराशि दी जानी है, तदनुसार आगामी कार्यवाही की जाये।

२८.०३.०८ : हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर योजना की भूमि क्रय के संबंध में जिलाधिकारी, हरिद्वार तथा श्री राजकुमार अरोड़ा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा सुझाव दिया गया कि हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता नहीं है। सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को निरस्त करते हुये प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया जाय।

ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर हेतु वन विभाग की भूमि प्राप्त करने हेतु जो प्रपत्र जिलाधिकारी-देहरादून से प्राप्त हुये हैं उन्हें विधिवत भरकर दिनांक ३१.३.९९ तक भेजने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये।

२८.०३.०९ : श्री पारस कुमार जैन की यादव धर्मशाला के समीप तथा सरप्राइज होटल के समीप स्थित दोनों भूमियों को रिलीज कर दिया गया है। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

२८.०३.१० : चूंकि दिनांक ११.१२.९८ को आयोजित बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के लिये आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्ताव का अनुमोदन आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा बोर्ड बैठक में अब केवल योजना का विस्तृत प्रारूप ही रखा जायेगा, अतः यह प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

२८.०३.११ : महायोजना की परिकल्पना को नियन्त्रित एवं व्यवहारिक बनाये जाने एवं मिले-जुले भू-उपयोग हेतु आदर्श नियमावली संशोधन उपरान्त शासन को प्रेषित की जा चुकी है। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

S. Lamb
२९/३/९९
प्रभारी सचिव

Lamb
०९/३/९९
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

ढद संख्या 28.02

विषय: विगत बोर्ड बैठक दिनांक 11-12-98 की कार्यवाही की पुष्टि ।

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि० 11-12-98 को सम्पन्न हुई थी । बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है । किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेषित नहीं किया गया है ।

(3)

२८.०३.१२ : शासनादेश के अनुसार दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों की दैनिक दरों में वृद्धि की गयी है। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

२८.०३.१३ : मेला कार्यालय हेतु अस्थायी पदों की स्वीकृति के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

२८.०३.१४ : हरिद्वार विकास क्षेत्र में बनी अनाधिकृत कालोनियों के बारे में प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:-

(अ)- सभी अवर अभियंता दिनांक १५.३.६६ तक अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित अनाधिकृत कालोनियों का सर्वे करके विस्तृत रिपोर्ट देंगे तथा प्रमाण पत्र देंगे कि अब उनके क्षेत्र में कोई अनाधिकृत कालोनी अवशेष नहीं है, जिसकी रिपोर्ट न की गयी हो।

(ब)- सभी अनाधिकृत कालोनियों में हो रहे निर्माण को तुरन्त रोक दिया जाय।

(स)- सभी अवर अभियंता यह भी प्रमाण पत्र १५.३.६६ तक देंगे कि सभी अनाधिकृत कालोनियों में स्थित सारे अवैध निर्माणों में धारा २७/२८ की कार्यवाही की जा चुकी है।

(द)- दिनांक १५.३.६६ के पश्चात यदि कोई अनाधिकृत कालोनी संज्ञान में आती है तो संबंधित अवर अभियंता को उत्तरदायी माना जायेगा तथा तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(य)- सभी अनाधिकृत कालोनियों को नियमानुसार रेगुलराइज कराया जाय।

२८.०३.१५ : भल्ला कालेज स्थित नगरपालिका परिषद की भूमि पर आडीटोरियम बनाये जाने के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इसका विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार कराकर दिनांक ५.३.६६ तक नगरपालिका परिषद, हरिद्वार को उपलब्ध करा दिया जाय।

२८.०३.१६ : श्रीमती अनीता जोरा के मानचित्र संख्या-६५/६८-६६ के संबंध में मानचित्र निरस्त हो चुका है, अतः यह प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या २८.०४ : विगत बोर्ड बैठक दिनांक ११.१२.६८ में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

विगत बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन/अनुपालन के संबंध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। अनुपालन के संबंध में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

२८.०४.०१ : द्वितीय संशोधन शमन उपविधि १६६८ से अंगीकृत करके दिनांक १.१.६६ से २८.२.६६ तक के लिये लागू कर दी गयी है। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

२८.०४.०२ : गंगा नदी तट से २०० मी० तक के क्षेत्र में लम्बित मानचित्रों के निस्तारण किये जा रहे हैं। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

२८.०४.०३ : प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

२८.०४.०४ : गंगा नदी के किनारे से २०० मीटर तक निर्माण गतिविधियां प्रतिबन्धित करने हेतु जारी शासनादेश का अनुपालन किया जा रहा है, अतः प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

S. L. Singh
09/3/99
प्रभारी सचिव

09/3/99
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

मद संख्या 28.03

विषय: विगत बोर्ड बैठक दि० 15-09-98 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

क्र.सं.	विषय	निर्णय	अनुपालन
1	ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्र की महायोजना पर आपत्ति सुझावों पर सुनवाई ।	आपत्तियों की सुनवाई हेतु आगामी एक माह में पूर्ण करके आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।	गठित समिति द्वारा आपत्ति/सुझावों की सुनवाई हेतु सभी आपत्ति/सुझाव कर्ताओं को लिखित सूचित किया गया है । आपत्तियों की सुनवाई दि० 19-11-98 व दि० 20-11-98 को की गई है । कुल 78 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये थे, सुनवाई के समय 56 आपत्ति/सुझाव कर्ता उपस्थित हुये थे । आपत्ति/सुझाव सुनवाई विषयक मूल अभिलेख सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग मेरठ को इस कार्यालय के पत्र सं०-1773 दि० 23-11-98 द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं । सहयुक्त नियोजक द्वारा कुछ क्षेत्रों के सर्वे प्लान अभिलेख पुनः मंगाने की माँग की गई है कुछ स्थल के सर्वे कार्य पूर्ण करा लिया गया है । अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जा रहा है तथा उन्हें शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

२८.०४.०५ : आश्रय योजना के संबंध में बैठक में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुपालन से सहमत होते हुये प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

२८.०४.०६ : विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) द्वितीय संशोधन उपविधि १९९८ के पुनः संशोधन के संबंध में निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या-२८.०५ : विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) संशोधन उपविधि १९९८ में आवश्यक परिष्कार

शासनादेश संख्या-५०७९/९आ-१-९८ दिनांक १५.१२.९८ में निर्दिष्ट परिष्कारों के संबंध में संशोधित शमन उपविधि शासनादेश संख्या-४६०/९आ-१-९९-१२०-वि/९८ दिनांक ३.२.९९ द्वारा पुनः इस निवेश के साथ प्राप्त हुयी है कि प्राप्त उपविधि में आवश्यक परिष्कारों का समावेश करते हुये द्वितीय संशोधन उपविधि विकास प्राधिकरण में अंगीकृत कराकर शासन को अनुमोदन एवं प्रकाशन हेतु उपलब्ध करायी जाय। उक्त उपविधियां विशेष शमन अभियान से संबंधित हैं जो प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में लागू की जा चुकी हैं। बोर्ड द्वारा उपरोक्त शमन उपविधियों को परिष्कार सहित अंगीकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन के बारे में दरों संबंधी जो शासनादेश जारी किया गया है उसे भी अभियान की अवधि में १९९९ की दरों पर ही लागू किया जाय।

मद संख्या-२८.०६/२८.०७ : बजट

बोर्ड के समक्ष वर्ष १९९८-९९ का पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष १९९९-२००० का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत किया गया, जो इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न है (संलग्नक-क)। संलग्नक के अनुसार बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या-२८.०८ : अहमदपुर कड़छ कनखल की बाईपास स्थित खसरा नं०-७४७ (निर्मल बाग) के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

प्रश्नगत स्थल का हरिद्वार महायोजना में भू-उपयोग कुम्भ मेला है। आवेदक का यह तर्क है कि यह भूमि कभी भी कुम्भ मेले में प्रयोग नहीं की गयी है। इस भूमि के अन्तर्गत एक भवन बना है व शेष भूमि में पेड़ खड़े हैं व भूमि नया हरिद्वार पुल के सामने स्थित है। वास्तव में उक्त भूमि का कभी भी कुम्भ या अर्द्धकुम्भ मेलों में प्रयोग नहीं किया गया है तथा भूमि पर वर्तमान में स्थित पेड़ों व भवन को देखते हुये इसका पार्किंग हेतु प्रयोग किया जाना सम्भव भी नहीं है। अतः महन्त राम सिंह की अहमदपुर कड़छ की ^{इस} भूमि खसरा नं०-७४७ क्षेत्रफल १४५३५ वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग कुम्भ मेला से आवासीय करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुये निर्णय लिया गया कि इसे शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया जाये।

१- Cum
प्रभारी सचिव
०९/३/९९

Kumari
०९/३/९९
उपाध्यक्ष

Dr.
अध्यक्ष

2 ग्राम हरिपुर कलाँ जिला देहरादून के खसरा नं0 781,784,340 नया गाटा सं0-785(क) का पार्क एवं स्कूल भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में । ग्राम हरिपुर कलाँ जिला देहरादून के खसरा नं0-781/784 तथा 340 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इसकी सुनवाई भी उपरोक्त गठित समिति द्वारा की जाय । प्रकरण की सुनवाई उपरोक्त गठित समिति द्वारा दि0 19-11-98 व 20-11-98 को की जा चुकी है तथा इस सम्बन्ध में आख्या सहयुक्त नियोजक को पत्र सं0-253 दि0 22-05-98 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है ।

3 हरिद्वार महायोजना भाग-अ की विसंगतियों के सम्बन्ध में । निर्णयानुसार प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है । शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई है, सूचना शासन को पत्र सं0-709 दि0 24-7-98 द्वारा भेज दी गई है । बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि शासन को पुनः इस सम्बन्ध में अनुस्मारक भेज जाय । निर्णयानुसार शासन को अनुस्मारक पत्र सं0-1582 दि0 29-10-98 द्वारा भेज दिया गया है ।

मद संख्या-२८.०६ : श्री पारस कुमार जैन की शेखूपुरा उर्फ कनखल में स्थित भूमि के क्रय करने के संबंध में

विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी समझौते के आधार पर ६२५८ वर्ग मीटर भूमि क्रय की गयी है। यह भूमि हरिद्वार बाई पास पर प्रमिला होटल के नजदीक स्थित है। इस भूमि का मूल्य रु० १५६.६० लाख निर्धारित किया गया है तथा रु० १६.६५ लाख का व्यय स्टाम्प एवं निबन्धन पर होना बताया गया है। इस योजना का नाम गायत्री लोक रखा गया है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्राधिकरण द्वारा ~~सम्यक~~ विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

(अ) उक्त भूमि पर एन०आर०आई० के लिये योजना बनाये जाने के प्रश्न पर विचार कर लिया जाय तथा यदि फिजिविलिटी जो तो इस योजना पर विचार किया जाय। यह योजना joint venture के रूप में भी लागू करने पर बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(ब) यदि उपरोक्त विकल्प 'अ' की फिजिविलिटी न हो तो उस स्थिति में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर ४ मंजिला आवासीय/व्यवसायिक काम्पलेक्स एवं दुकानें संबंधी सुविधायें भी यथा आवश्यक उपलब्ध करायी जायें।


(स) उपरोक्त विषयों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये अध्यक्ष/अध्युक्त को अधिकृत किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।


मद संख्या-२८.१० : श्यामलोक आवासीय योजना की भूमि क्रय एवं विकास कार्य हेतु हुडको से ऋण प्राप्ति के संबंध में


ऋधिकेश रोड पर भूपतवाला में ३.३६५ हेक्टेयर भूमि पर श्यामलोक योजना विकसित की जा रही है। योजना में उच्च आय वर्ग के ३४ भूखण्ड (१६२.०० वर्ग मी० प्रत्येक), मध्यम आय वर्ग के ४० भूखण्ड (११२.५० वर्ग मी० प्रत्येक), दो भूखण्ड ग्रुप हाउसिंग के, ८ भूखण्ड आश्रम एवं एक-एक भूखण्ड होटल एवं व्यवसायिक हेतु प्रस्तावित है। हुडको से भूमि क्रय एवं विकास (मिट्टी भरायी, सड़क, पार्क, जलापूर्ति, विद्युत, सीवर व नाली निर्माण) कार्यों के लिये ऋण लेने हेतु रु० ३७३.०० लाख की योजना प्रस्तुत की गयी थी जिसके विपरीत हुडको द्वारा रु० २७५.२६ लाख स्वीकृत किया गया है। शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है कि हुडको से ऋण की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के प्रस्ताव की अनिवार्यता है, अतः उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या-२८.११ : श्री प्रेमनगर आश्रम द्वारा जमा विकास शुल्क वापस करने के संबंध में

सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री प्रेमनगर आश्रम द्वारा जमा विकास शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है तदनुसार प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

S- 
प्रभारी सचिव 09/3/99


09/3/99
उपाध्यक्ष


अध्यक्ष

4 सरकारी विभागों पर आरोपित जल निगम पर जो ब्याज निर्णयानुसार प्रकरण जल निगम को शुल्क को बिलम्ब से जमा आरोपित किया गया है सन्दर्भित किया गया जल निगम द्वारा करने के फलस्वरूप देय उसके सम्बन्ध में छूट का मूल शमन शुल्क धनराशि रू0 43507.00 ब्याज में छूट सम्बन्धी । आवेदन विगत बोर्ड बैठक में दि0 14-10-96 को जमा की जा चुकी है । निरस्त किया जा चुका है, इस पर देय ब्याज रू 23762.00 निर्णय लिया गया था कि विभाग द्वारा अभी तक जमा नहीं प्रकरण को जल निगम को किया गया है । सन्दर्भित करते हुये ब्याज की धनराशि विभाग से जमा करायी जाय ।

5 विकास शुल्क/फीस के हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग-अ पुर्न निर्धारण के अनुपूरक हेतु प्राधिकरण बोर्ड दि0 प्रस्ताव के सम्बन्ध में । 7-2-98 में विकास शुल्क/फीस की दरों का पुनः निर्धारण किया गया था, यह दरें सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में एक समान रूप से लागू हैं। इस विषय में आवास सचिव, द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों

द संख्या-२८.१२ : हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना

हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर योजना की भूमि क्रय के संबंध में जिलाधिकारी, हरिद्वार तथा श्री राजकुमार अरोड़ा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा सुझाव दिया गया कि हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता नहीं है। सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को निरस्त करते हुये प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया जाय।

मद संख्या-२८.१३ : रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट योजना के संबंध में

प्राधिकरण की २६वीं बोर्ड बैठक दिनांक १५.६.६८ के मद संख्या-२६.०२.१४(य) में हर की पैड़ी के समीप स्थित पन्तद्वीप, रोड़ीबेलवाला, रोड़ी, चण्डीद्वीप आदि के विकास हेतु विचार-विमर्श हुआ था। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि इन क्षेत्रों का लैंड स्केपिंग का प्रस्ताव तैयार कराया जाय तथा इससे पार्किंग हटाकर बैरागी कैम्प अथवा बाईपास के दूसरी ओर शिफ्ट किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया था कि इसके सौन्दर्यीकरण/लैंड स्केपिंग हेतु स्पॉन्सरिंग के माध्यम से सहयोग लेते हुये अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर इन क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण कराया जाय। विचार-विमर्श के उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया था कि विभिन्न स्पॉन्सर को प्रोत्साहित करते हुये उनके डिजाइन अथवा प्रोजेक्ट प्राप्त कर लिये जायें तथा उनमें से जो सबसे अच्छा एवं किफायती हो, उसका क्रियान्वयन प्राधिकरण द्वारा कराया जाय। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि सन्दर्भित क्षेत्रों के विकास के लिये निजी वास्तुविदों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, उनमें से सर्वोत्तम प्रस्ताव का चयन किया जाना है। सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये:-


(क) उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में उक्त प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिये निम्न प्रकार एक समिति गठित की गयी:-


१- उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
२- सहयुक्त नियोजक, मेरठ	सदस्य
३- सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	संयोजक
४- अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
५- अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार	सदस्य
६- अधिशासी अभियंता, सिचाई विभाग,	सदस्य


उपरोक्त समिति प्रस्तावों का अध्ययन करेगी तथा उसमें जो सर्वोत्तम प्रस्ताव होगा उसकी स्वीकृति हेतु आयुक्त/अध्यक्ष को संस्तुति प्रस्तुत करेगी।

(ख) उपरोक्त समिति आयुक्त/अध्यक्ष की स्वीकृति हेतु इस आशय की संस्तुति करेगी कि जो सबसे अच्छा प्रस्ताव चयनित किया जाता है उससे संबंधित एजेन्सी को मानदेय के रूप में क्या भुगतान किया जायेगा।

(ग) योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में कराया जायेगा तथा प्रथम चरण में रोड़ीबेलवाला एवं इसके सामने पड़ने वाले चण्डी द्वीप क्षेत्रों का विकास कराया जायेगा जहां पर

१- 
०१/३/११
प्रभारी सचिव


०१/३/११
उपाध्यक्ष


अध्यक्ष

से विचार-विमर्श में यह निर्देश दिये गये थे कि नगर में विभिन्न भागों में विकास शुल्क की दरें धिन्न-धिन्न रखी जायें । आवास सचिव का यह मत था कि जिन क्षेत्रों में कुम्भ मेले का अत्यधिक दबाव है उनमें विकास की प्रक्रिया को कठोरता से नियन्त्रित किया जाय । चूँकि नदी तटीय क्षेत्रों तथा मुख्य मार्गों पर विकास का दबाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है अतः यह आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को नियन्त्रित किया जाय, जिससे कि अवस्थापना सुविधाओं पर अत्यधिक भार न पड़े तथा पर्यावरण की सुरक्षा की सुनिश्चित की जा सके । आवास सचिव के मतानुसार हर की पैड़ी के आस-पास स्थित कोर एरिया जो मेले की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है उसमें

समस्त पार्किंग शिफ्ट की जानी है। पार्किंग शिफ्ट करने के लिये आवश्यकतानुसार पुलों का प्राविधान भी प्रोजेक्ट में ही कराया जाय।

(घ) आयुक्त/अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(च) उपरोक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु स्टाम्प शुल्क की २ प्रतिशत रु० ६७.०० लाख की जो धनराशि प्राप्त हुयी है, उसे इस कार्य हेतु आरक्षित कर दिया जाय।

उपरोक्त निर्णयों के साथ यह प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या-२८.१४ : अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

२८.१४.०१ : ऋषिकेश महायोजना क्षेत्र में स्थित ग्राम गौहरी माफ़ी को हरिद्वार विकास क्षेत्र में सम्मिलित करने के पर विचार

शासन की अधिसूचना सं०-३६६२/११-५-८६-२३(१)/डी.ए.-८५ लखनऊ दिनांक ४ जून १९८६ द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये हरिद्वार विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश मार्ग एवं गंगा के मध्य स्थित समस्त क्षेत्र को हरिद्वार विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है परन्तु ग्राम गौहरी माफ़ी जो कि इस क्षेत्र के मध्य स्थित है, त्रुटिवश अधिसूचित नहीं हो पाया है। हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग-'ब' हेतु ऋषिकेश महायोजना प्राख्य २००१ तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये हैं। यह प्राख्य महायोजना गौहरी माफ़ी ग्राम को विकास क्षेत्र में सम्मिलित करते हुये तैयार की गयी है जो कि वैधानिक नहीं है। ग्राम गौहरी माफ़ी विकास क्षेत्र के मध्य स्थित है जिस कारण इसको महायोजना से पृथ करना भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवश्यक प्रतीत होता है कि अधिसूचना सं०-३६६२/११-५-८६-२३(१)/डी.ए.-८५ लखनऊ दिनांक ४ जून १९८६ में संशोधन कर गौहरी माफ़ी ग्राम को हरिद्वार विकास क्षेत्र में सम्मिलित करवाया जाये। प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुये इसे शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

२८.१४.०२ : आश्रय विहीन व्यक्तियों के लिये संचालित आश्रय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था एवं आश्रयों के आवंटन के संबंध में

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि शासनादेश द्वारा आश्रय योजना के क्रियान्वयन हेतु यह प्राविधान किया गया है कि सरकारी जमीन पर जो अनधिकृत अध्यासी हैं उन्हें आश्रय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जाय तथा उन की सहकारी आवास समिति गठित कराकर उन्हें आवास संघ से ऋण की सुविधा प्रदान कराते हुये योजना का क्रियान्वयन किया जाय।

इस संबंध में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि आवास संघ के माध्यम से ऋण दिलाने में अत्यधिक व्यवहारिक कठिनाइयां हैं तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी आश्रय योजना के अन्तर्गत अपनी एक नियमावली बनाकर आश्रय संबंधी आवासों का आवंटन किया है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण के पास आश्रय योजना के अन्तर्गत आवंटन हेतु

S. Singh
09/3/99

L. Singh
09/3/99
अध्यक्ष

He:
अध्यक्ष

निर्माण की प्रक्रिया जो नियन्त्रित रखने की दृष्टि से विकास शुल्क की दरें बढ़ायी जानी चाहिए । प्राधिकरण द्वारा निम्न क्षेत्रों को कोर एरिया की श्रेणी में रखा जाना प्रस्तावित किया गया था ।


1. सिंहद्वार से डामकोठी तक मुख्य बाईपास मार्ग के दोनों किनारे से 100 मी० परिधि का क्षेत्र ।
2. देवपुरा चौराहे से गंगा कैनल तथा ललताराव के मध्य स्थित समस्त क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए उत्तर दिशा की ओर रेलवे लाइन तरफ का क्षेत्र तथा ललताराव से प्रारम्भ करते हुए सप्तसरोवर भूपतवाला तक का रेलवे लाइन तक का समस्त क्षेत्र ।


भवन उपलब्ध हैं अथवा निर्माणाधीन हैं, अतः भवनों के निर्माण हेतु प्राधिकरण को आवास संघ से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा लागू किये गये पैटर्न पर ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण में भी आश्रय योजना के अन्तर्गत सामान्य आवंटन नियमावली के आधार पर यह योजना लागू की जा सकती है। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि आश्रय योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण के पैटर्न पर ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों की सामान्य आवंटन नियमावली के आधार पर आवंटन करने की प्रक्रिया लागू की जाय तथा इस प्रयोजनार्थ जो फार्म छपवाये जायें उनमें ही नियमावली संबंधी उल्लेख कर दिया जाय।


२८.१४.०३ : ज्वालापुर स्थित नंदपुरी कालोनी के विनियमितीकरण के संबंध में

संबंधित कालोनी के रेजिडेंट एसोसियेशन द्वारा उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को इस आशय का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि कालोनी के विनियमितीकरण हेतु पूर्व में वर्ष १९९३ में तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गयी विकास शुल्क की दर रु० १३१/- प्रति वर्गमीटर अन्य कालोनियों हेतु स्वीकृत विकास शुल्क की दर की तुलना में अधिक है, अतः स्वीकृत विकास शुल्क की दर पर प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार करते हुये इसे कम किया जाय। इस संबंध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्ष १९९३ में तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा नन्दपुरी कालोनी के निवासियों के प्रत्यावेदन के क्रम में विकास शुल्क हेतु रु० १३१/- प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित करते हुये कालोनी का विनियमितीकरण किया गया था। विकास शुल्क की गणना आवासीय कालोनी में प्रस्तावित अवस्थापना सुविधायें जैसे-सड़क निर्माण, जलापूर्ति, सीवर लाईन, विद्युत कार्य, नालियों का निर्माण आदि कार्यों पर होने वाले व्यय के आधार पर संगणित की गयी थी। साथ में यह भी प्रतिबन्ध तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लगाया गया था कि प्राधिकरण द्वारा कालोनी के विकास कार्य ५० प्रतिशत विकास शुल्क प्राप्त होने के उपरान्त की सम्पादित कराये जायेंगे, अतः विकास शुल्क का पुनरीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है। अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विकास शुल्क की दर निश्चय ही तत्समय स्वीकृत अन्य कालोनियों के विकास शुल्क की दर की तुलना में अधिक थी अतः यह आवश्यक है कि इस कालोनी के विकास शुल्क की दरों के पुनरीक्षण र बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाय उनके द्वारा बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि कालोनी के निवासियों द्वारा कुछ विकास कार्य अपने स्रोतों से ही सम्पादित करा लिये गये हैं। अध्यक्ष/आयुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा यह आकलन किया जाय कि शेष विकास कार्यों को कराने पर कितना व्यय आयेगा तथा यह भी अवगत कराया जाय कि वर्ष १९९३ में अन्य कालोनियों के संबंध में निर्धारित विकास शुल्क की दरें क्या थीं। वर्तमान में संगणित लागत के आधार पर पुनरीक्षित विकास शुल्क की गणना कर प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु आयुक्त/अध्यक्ष को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया।

अन्त में उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

S- 
प्रभारी सचिव 09/03/99


09/3/99
उपाध्यक्ष


अध्यक्ष

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सचिव, ह०वि०प्रा० की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय जिसके सदस्य सहयुक्त नियोजक मेरठ, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका होंगे समिति द्वारा आगामी बैठक में विकास शुल्क की दरों के बारे में तथा कोर एरिया में निर्माण कार्यों को कड़ाई से रोकने के लिए प्रस्ताव रखा जाय । उक्त समिति द्वारा कोर एरिया को चिन्हित भी किया जायेगा तथा शहर के महत्वपूर्ण नालों पर जो अतिक्रमण इत्यादि हो गये हैं, उनके सम्बन्ध में भी कार्यवाही हेतु यह समिति आख्या प्रस्तुत करेगी ।

शासनादेश सं०-2810/9-आ-98 दि० 23 सितम्बर, 1998 का अवलोकन किया गया । इस शासनादेश के अनुसार गंगा नदी तट के किनारे से 200 मी० तक किसी भी प्रकार की गति-विधियाँ अनुमन्य न किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति का मत है कि कोर एरिया जो मेले की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अधिकांशतः इस शासनादेश द्वारा निर्धारित 200 मी० परिधि के अन्तर्गत है । चूँकि इस क्षेत्र में कोई गतिविधियाँ अनुमन्य नहीं हैं, अतः भिन्न-भिन्न विकास शुल्क/फीस लिये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

जहाँ तक शहर के मुख्य नालों पर अतिक्रमण का प्रश्न है, चूँकि इनका स्वामित्व मूलतः नगरपालिका का है अतः सुझाव है कि नगरपालिका परिषद इन अतिक्रमणों को चिन्हित कर लें तथा स्थानीय प्रशासन की सहायता से अतिक्रमण हटवाए जायें । प्राधिकरण स्तर से इस सम्बन्ध में जो भी सहायता माँगी जाये वह तत्परता से उपलब्ध करायी जायेगी ।

संलग्नक (क)

HARDWAR DEVELOPMENT AUTHORITY
BUDGET

SL. NO.	HEAD	1996-97 ACTUAL (IN LAKHS)	1997-98 ACTUAL (IN LAKHS)	1998-99 PROPOSED (IN LAKHS)	1998-99 UPTO JAN'99 ACTUAL (IN LAKHS)	1998-99 REVISED (IN LAKHS)	1999-2000 PROPOSED (IN LAKHS)
REVENUE INCOME							
1	STAMP DUTY	4.49	3.53	40.00	0.00	67.00	40.00
2	INTEREST ACCOUNT	32.65	34.72	38.00	18.72	38.00	40.00
3	MAP/SUB.DIV. FEES	1.46	5.41	5.50	9.94	12.00	10.00
4	COMPOUNDING FEES	49.07	11.52	100.00	46.02	100.00	100.00
6	SUPERVISION CHARGE	0.00	4.21	5.00	8.55	12.00	12.00
7	GRANT FOR DEVELOPEMENT	2.93	211.75	75.00	41.70	48.00	20.00
8	MISC.(LIC/TEN FEE/TRANS/LEASE)	2.87	6.82	30.00	10.06	15.00	15.00
9	DEVELOPEMENT CHARGES	39.34	67.41	100.00	69.21	100.00	100.00
10	AMBAR FEES	0.00	0.00	3.00	12.72	15.00	15.00
11	FREE HOLD CHARGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
TOTAL REVENUE INCOME (A)		132.81	345.37	396.50	216.92	407.00	362.00
CAPITAL INCOME							
1	RISHILOK YOJNA	11.07	4.98	8.73	7.09	8.73	5.00
2	SHIVLOK-1	1.47	2.24	2.80	3.07	4.00	2.00
3	SHIVLOK-2 YOJNA	12.73	11.29	11.48	6.43	11.48	7.00
4	SHIVLOK-3 YOJNA	40.47	12.52	14.29	12.14	14.29	7.00
5	HARILOK YOJNA	87.37	35.68	83.87	26.24	60.00	85.00
6	SHYAM LOK YOJNA	17.06	0.00	130.00	97.56	160.00	125.00
7	LOAN FROM HUDCO & OTHERS	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00
8	I.D.S.M.T.	25.78	0.00	60.00	3.83	6.00	6.00
9	GAYATRI LOK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
10	OTHERS NEW YOJNA	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	75.00
11	REALISATION OF INSTALMENTS {ADV TO EMPL FOR HOUSE/PLOT ETC}	0.57	0.20	1.00	0.57	1.00	2.00
TOTAL CAPITAL INCOME (B)		196.52	133.93	512.17	156.93	285.50	589.00
GRAND TOTAL INCOME (A+B)=(C)		329.33	479.35	908.67	373.85	692.50	951.00

6 अखिल भारतीय अखाडा प्रस्तावित महायोजना भू-उपयोग प्रगति से मुख्य नगर एवं ग्राम परिषद द्वारा भूपतवाला पर प्राप्त आपत्ति के सम्बन्ध नियोजक के प्रतिनिधि बैठक में अवगत क्षेत्र में प्रस्तावित महायोजना में मुख्य नगर एवं ग्राम करायेंगे । भू-उपयोग पर प्राप्त आपत्ति नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा के सम्बन्ध में । यह आश्वासन दिया गया था कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत करायेंगे ।

7 प्राधिकरण की प्रगति रिपोर्ट के सम्बन्ध में । (अ) प्राधिकरण की विभिन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन योजनाओं में निर्माण कार्यों तथा में विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्यों योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन तथा योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन एवं देयों की वसूली के लिए देयों की वसूली हेतु सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता अधिकारियों को वार लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं । उत्तरदायी बनाया जाय, यह निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रत्येक सहायक अभियन्ता बकाया एवं शनिवार को सहायक अभियन्ताओं के वर्तमान दोनों ही प्रकार की साथ साप्ताहिक प्रगति समीक्षा उपाध्यक्ष देय धनराशियों को आवंटियों द्वारा की जाती है । प्राधिकरण की से वसूल कराना सुनिश्चित प्रगति पुस्तिका में यह समस्त विवरण करेंगे । आगामी बैठक में प्रगति पुस्तिका में यह समस्त विवरण प्रत्येक सहायक अभियन्तावार अलग से प्रस्तुत किये जा रहे हैं । विवरण प्रस्तुत किया जाय ।

**HARDWAR DEVELOPMENT AUTHORITY
BUDGET**

SL. NO.	HEAD	1996-97 ACTUAL (IN LAKHS)	1997-98 ACTUAL (IN LAKHS)	1998-99 UPTO JAN'99 PROPOSED (IN LAKHS)	1998-99 ACTUAL (IN LAKHS)	1998-99 REVISED (IN LAKHS)	1999-2000 PROPOSED (IN LAKHS)
REVENUE EXPENDITURE							
1 ESTABLISHMENT							
A	EMPLOYEES SALARY/ALLOWANCES	28.11	37.27	60.00	43.30	60.00	55.00
B	TRAVELING ALLOWANCE	1.11	0.44	2.00	1.27	2.00	2.50
C	DAILY WAGES	0.30	0.19	0.25	0.14	0.25	0.35
D	LEAVE SALARY/PENSION CONTRIBUTION	0.60	0.33	0.75	1.65	1.65	1.75
Total (a)		30.12	38.23	63.00	46.36	63.90	59.60
2 OFFICE MISC. EXPENDITURE							
A	POSTAGE STAMP	0.18	0.14	0.30	0.17	0.30	0.30
B	STATIONARY	0.77	1.05	1.50	1.36	1.50	1.50
C	OFFICE BUILDING MAINTENANCE	1.04	1.40	2.50	1.95	2.50	2.50
D	TELEPHONE	1.77	4.92	5.00	4.48	5.00	5.00
E	BOOKS/LIBRARY	0.03	0.09	0.50	0.10	0.50	0.50
F	LEGAL EXPENDITURE	1.53	1.56	2.00	1.10	2.00	2.00
G	HOSPITALITY EXP.	0.27	0.25	0.50	0.37	0.50	0.75
H	PRINTING EXP.	0.67	0.68	2.00	0.40	2.00	1.50
I	ADVERTISEMENT	3.18	1.13	1.50	1.76	2.00	2.00
J	AUDIT FEES	0.89	1.00	1.50	0.12	1.50	1.50
K	MISCELLANEOUS	0.67	1.51	3.00	1.97	2.50	2.50
L	EMPLOYEES WELFARE	0.07	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25
M	MACHINERY/ MAINTENANCE	0.41	0.69	1.00	0.93	1.00	1.00
N	ELECTRICITY MAINTENANCE	0.06	0.00	0.50	0.02	0.50	0.50
O	VIVEKADHEEN EXP.	0.05	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20
P	TEMPRARY ADV.	9.01	0.35	0.50	2.89	0.50	0.50
Q	COMPUTER MAINTENANCE	0.00	0.49	1.00	0.03	1.00	1.00
Total (b)		20.60	15.41	23.75	17.85	23.75	23.50
3 VEHICLE MAINTENANCE							
A	MAINTENANCE	1.26	1.48	2.00	1.18	2.00	2.00
B	PETROL/DIESEL	1.27	1.87	2.50	2.32	2.75	2.75
Total (c)		2.53	3.36	4.50	3.50	4.75	4.75
4 EMPLOYEES' ADVANCE							
A	VEHICLE	0.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
B	HOUSE/PLOT	0.43	0.00	3.00	0.60	3.00	4.00
Total (d)		1.01	1.00	4.00	1.60	4.00	5.00
5	MASTER PLAN SURVEY	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50
6	DEVELOPMENT EXP.	14.95	20.81	10.00	1.78	10.00	10.00
7	TRAFFIC PLANNING	2.25	3.41	1.00	0.75	0.75	0.00
8	DEVELOPMENT WORKS FROM GRANT	0.00	109.24	127.70	101.55	127.70	30.00
9	AVAS BANDHU CONTRIBUTION	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Total (e)		17.20	133.96	142.20	107.08	141.95	43.50
TOTAL REVENUE EXPENDITURE (a+b+c+d+e)=(f)		71.46	191.95	237.45	176.39	238.35	136.35

(ब) अपराधों के शमन के शासनादेश सं०-4767/9-आ-1-98 दि० सम्बन्ध में अन्य विकास 29-10-98 तथा शासनादेश सं०-5079/9-आ-1-98 दि० 15-12-98 द्वारा विशेष छूट प्राधिकरणों से जानकारी कर ली जाय कि अपराधों के शमन के दौरान किस प्रकार की विशेष छूट प्रदान की गयी थी तथा उसी के अनुसार शासन को प्रस्ताव भेजते हुए अधिक से अधिक संख्या में अपराधों के शमन की कार्यवाही की जाय ।

**HARDWAR DEVELOPMENT AUTHORITY
BUDGET**

12

SL. NO.	HEAD	1996-97 ACTUAL (IN LAKHS)	1997-98 ACTUAL (IN LAKHS)	1998-99 PROPOSED (IN LAKHS)	UPTO JAN'99 ACTUAL (IN LAKHS)	1998-99 REVISED (IN LAKHS)	1999-2000 PROPOSED (IN LAKHS)
CAPITAL EXPENDITURE							
1	CAR/JEEP/INSTRUMENT/HOUSE/	17.94	5.38	7.00	5.42	7.00	5.00
2	COMPUTER PURCHASE	0.00	3.10	3.50	0.75	1.00	1.00
3	FURNITURES/FIXTURES	0.76	1.47	3.00	1.86	3.00	2.00
4	STORE(CEMENT/STEEL)	14.32	36.84	20.00	16.72	20.00	25.00
	Total (a)	33.02	46.79	33.50	24.75	31.00	33.00
5 YOJANA LAND PURCHASE							
A	SHYAM LOK	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	GAYATRI LOK	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
C	NEW YOJNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	Total (b)	216.72	0.00	175.00	0.00	175.00	200.00
6 YOJNA DEVELOPMENT/CONS.WORK							
A	SHIVLOK -2	4.70	0.94	1.00	0.69	1.00	1.00
B	SHIVLOK-3	7.25	21.28	13.53	6.07	13.50	10.00
C	SHYAM LOK YOJNA	5.75	18.26	69.80	19.76	29.80	40.00
D	HARILOK YOJNA	35.48	29.18	120.19	33.57	50.19	60.00
E	T.H.D.C.PUNRWAS YOJNA	0.76	1.13	1.00	0.50	1.00	1.00
F	REFUND FOR LOANS	2.98	8.23	30.00	8.63	15.00	20.00
G	REFUND INTEREST FOR LOANS	5.81	8.68	20.00	2.20	10.00	15.00
H	I.D.S.M.T.	3.34	41.43	90.00	31.23	50.00	50.00
I	RESERCH TRANING & CONSULTANCY	0.00	3.33	1.50	0.19	1.50	0.75
J	HOUSING INFRASTRUCTURE	0.00	0.00	90.00	30.00	55.00	200.00
K	GAYATRI LOK	0.00	0.00	20.00	0.00	5.00	90.00
L	ASHARYA YOJNA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00
M	NEW YOJNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	Total (c)	66.07	123.05	456.99	132.84	236.99	532.75
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE (a+b+c)=(B)	315.81	169.84	665.49	157.59	442.99	765.75
	GRAND TOTAL EXPENDITURE (A+B)=(D)	387.27	361.79	902.94	333.98	681.34	902.10
	LAST BALANCE(PROFIT) (C-D)	-57.94	117.56	5.73	39.88	11.16	48.90

8 ट्रांसपोर्ट नगर योजना के निर्णयानुसार हरिद्वार में शासन का यह मत है कि प्रदेश के भूमि क्रय के सम्बन्ध में । फिलहाल ट्रांसपोर्ट नगर का सभी बड़े नगरों में बढ़ती जनसंख्या के प्रस्ताव स्थगित कर दिया कारण यातायात का दबाव निरन्तर बढ़ गया था । ऋषिकेश में रहा है तथा दुर्घटनाओं के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट नगर हेतु निर्णय नगरीय पर्यायवरण भी दूषित हो रहा है । लिया गया था कि सचिव, शशासन की अपेक्षा है कि प्रत्येक हरिद्वार विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर द्वारा ऋषिकेश के ट्रांसपोर्टों, की योजना को कार्यान्वित किया जाये । सम्बन्धित ए0आर0टी0ओ0 इसके अनुपालन में हरिद्वार में भी तथा नगरपालिका अध्यक्ष के ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु साथ विस्तृत विचार-विमर्श फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराने के के उपरान्त प्रस्ताव तैयार लिए वास्तुविदों से प्रस्ताव मांगे गये हैं, कर कर आगामी कार्यवाही जिनके आधार पर हरिद्वार में भी करयी जाय । ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जहाँ तक ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी देहरादून द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु वन विभाग की भूमि प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं तथा कुछ प्रपत्र भरकर उपलब्ध कराने हेतु कराये गये हैं । क्षेत्र का व्यापक सर्वे कराने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह प्रपत्र भरकर जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से वन विभाग को भेजे जायेंगे ।

9 यादव धर्मशाला के समीप सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि श्री पारस कुमार जैन की यादव धर्मशाला के समीप तथा सरप्रइज होटल के समीप स्थित दोनों भूमियों को रिलिज कर दिया जाय । निर्णय का अनुपालन किया जा चुका है ।

10 हरिलोक आवासीय योजना निर्णयानुसार डिमान्ड सर्वे आदि दिनांक 11-12-98 को आयोजित बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि भाग-2 की भूमि कय के करार विस्तृत प्रस्ताव आगामी प्राधिकरण के लिये यदि कोई भूमि सम्बन्ध में । बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । आपसी समझौते पर कय की जाती है तो उसका अनुमोदन आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा कर दिया जायेगा तथा भूमि कय के उपरान्त केवल विस्तृत योजना का प्रारूप ही बोर्ड बैठक में रखा जायेगा, अतः इस सम्बन्ध में निर्णय आयुक्त/अध्यक्ष महोदय के स्तर पर ही किया जाना है । तदनुसार यह प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया जाना प्रस्तावित है ।

- 11 महायोजना की परिकल्पना को नियन्त्रित एवं व्यावहारिक बनाये जाने एवं मिले-जुले भू-उपयोग हेतु आदर्श नियमावली पर विचार । निर्णय लिया गया था कि प्राप्त नियमावली का परीक्षण कर लें तथा समिति की अख्या के अनुरूप आदर्श नियमावली में यथा आवश्यकता संशोधन करते हुये नियमावली को शासन को भेज दिया जाय । इसे तदनुसार ही प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत मान लिया जाय । निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है तथा नियमावली संशोधन उपरान्त शासन को पत्र सं०-2175 दि० 11-12-98 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है ।
- 12 दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्म-चारियों के दैनिक दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में । बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है उस पर शासन द्वारा जो निर्णय लिया जाय वही निर्णय हरिद्वार विकास प्राधिकरण में लागू किया जाय । शासनादेश सं०-3588/9आ-5-98-239ई०/96 टी.सी. आवास अनुभाग-5 दिनांक 13-10-98 के द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक/मजदूरी की दरों में वृद्धि की है जिसके अनुसार प्राधिकरण ने निम्न दरें दि० 1-11-98 से लागू की जा चुकी हैं ।
 1. वर्कचार्ज लिपिक/ रू० 94.39 प्रतिदिन
 डाईवर/सुपरवाइजर
 2. चतुर्थ श्रेणी रू० 77.63 प्रतिदिन

13 मेला कार्यालय हेतु अस्थायी निर्णयानुसार एक डाटा एन्ट्री निर्णयानुसार पद सृजन का प्रस्ताव इस पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में। आपरेटर, एक वाहन चालक कार्यालय के पत्र सं०-1536 दि० तथा एक चपरासी के पद 24-10-98 द्वारा शासन को प्रेषित सृजन का प्रस्ताव स्वीकृति किया जा चुका है। हेतु शासन को भेज दिया जाय।

14 हरिद्वार विकास क्षेत्रान्तर्गत निर्णय लिया गया कि अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण नियोजित तथा नियन्त्रित अनाधिकृत कालोनियों के का आवेदन प्राप्त होने पर उक्त निर्णय विकास के सम्बन्ध में। नियमितीकरण के विशिष्ट के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

मद संख्या 28.04

विषय: विगत बोर्ड बैठक दि० 11-12-98 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

क.सं.	विषय	निर्णय	अनुपालन
1	द्वितीय संशोधन शमन उपविधि 1998 को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में ।	प्रकरण पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह उपविधि वर्ष 1999 के जनवरी तथा फरवरी माह में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में प्रवृत्त की जायेगी । यह भी निर्णय लिया गया कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा तथा उपरोक्त शमन उपविधि के अन्तर्गत जो भी प्रार्थना पत्र जनवरी तथा फरवरी 99 में प्राप्त होंगे तथा जो भी इस उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत शमनीय होंगे उन प्रकरणों में नियमानुसार शमन की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।	निर्णयानुसार शमन उपविधि की पुस्तिका छपवाई गई, समाचार पत्रों के माध्यम से एवं हैन्डबिल्स छपवा कर व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है । इस का जनसाधारण पर अच्छा प्रभाव पड़ा है तथा काफी संख्या में अनधिकृत निर्माणकर्ताओं द्वारा शमन के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनपर उपविधि के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

15 जिला न्यायाधीश के निर्णय लिया गया था कि नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजनार्थ वैकल्पिक
आवास के समीप इस कार्य का विस्तृत स्थान नगर स्वास्थ्य अधिकारी के आवास
नगरपालिका की भूमि पर प्राक्कलन तैयार करा लिया के पास प्रस्तावित किया गया है । सर्वे
आडीटोरियम के निर्माण जाय तथा किस-किस स्रोत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ।
के सम्बन्ध में । से कितनी-कितनी धनराशि नियोजन की कार्यवाही गतिमान है ।
उपलब्ध है इसका विवरण प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराकर
सम्बन्धित पत्रावली पर देते अध्यक्ष/आयुक्त महोदय से अनुमोदन
हुए अध्यक्ष/आयुक्त महोदय प्राप्त कर आगामी कार्यवाही की जायेगी ।
से इसका अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाय ।

16 श्रीमती अनीता जौरा के निर्णय लिया गया कि प्रकरण का श्रीमती अनीता जौरा द्वारा आवश्यक
मानचित्र सं०-95/98-99 की विस्तृत परीक्षण करके आगामी औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के कारण
स्वीकृति पर विचार । बैठक में प्रस्तुत किया जाय । मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया है ।

2 गंगा नदी तट से 200 मी0 तक के क्षेत्र में लम्बित मानचित्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि दि0 9-10-98 तक प्राप्त मानचित्रों को निरस्त न किया जाय बल्कि इनका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाय । जो मानचित्र 9-10-98 तक प्राधिकरण में प्राप्त हो चुके थे अथवा किन्हीं कारणों से इस तिथि तक लम्बित थे वे निम्न थे :-

244/98, 290/98, 309/98,
339/98, 39/98, 9/98, 37/98,
62/98, 67/98, 89/98

यह भी निर्णय लिया गया कि इन मानचित्रों के अतिरिक्त गंगा तट से 200 मी0 की परिधि में कोई भी मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

बोर्ड के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की रही है ।

मद संख्या 28.05

विषय: विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) संशोधित उपविधि 1998 में आवश्यक परिष्कार ।

शासनादेश सं०-5079/9-आ-1-98 दि० 15-12-98 में निर्दिष्ट परिष्कारों के सम्बन्ध में संशोधित शमन उपविधि शासनादेश सं०-460/9-आ-1-99-120-वि/98 दि० 3-2-99 के द्वारा पुनः इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई है कि प्रारूप उपविधि में आवश्यक परिष्कारों का समावेश करते हुए द्वितीय संशोधन उपविधि विकास प्राधिकरण में अंगीकृत कराकर शासन को अनुमोदन एवं प्रकाशन हेतु उपलब्ध करायी जाय । प्रारूप का विस्तृत विवरण संलग्न है । उक्त उपविधियाँ विशेष शमन अभियान से सम्बन्धित है जो प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में लागू की जा चुकी है । उक्त उपविधियाँ प्राधिकरण के पोस्ट-फैक्टो अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

(22)

3 प्राधिकरण की विभिन्न प्रकरण पर विगत बैठक में यह बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के लिए यदि कोई भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाती है तो उसका अनुमोदन आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा प्रदान कर दिया जायेगा तथा भूमि क्रय के उपरान्त विस्तृत योजना का प्रारूप ही प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(18)

मद संख्या 28.08

वि. य. अहमदपुर कडक फाखल की बाईपास स्थित खसरा नं0-747(निर्मल बाग) के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रश्नगत स्थल का हरिद्वार महायोजना में भू-उपयोग कुम्भ मेला है । आवेदक का यह तर्क है कि यह भूमि कभी भी कुम्भ मेले में प्रयोग नहीं की गई है । इस भूमि के अन्तर्गत एक भवन बना है व शेष भूमि में पेड़ खड़े हैं व भूमि नया हरिद्वार पुल के सामने स्थित है । वास्तव में उक्त भूमि का कभी भी कुम्भ या अर्द्धकुम्भ मेलों में प्रयोग नहीं किया गया है तथा भूमि पर वर्तमान में स्थित पेड़ों व भवन को देखते हुए इसका पार्किंग हेतु प्रयोग किया जाना सम्भव भी नहीं है । अतः महन्त रामसिंह की अहमदपुर कडक की यह भूमि खसरा नं0-747 क्षेत्रफल 14535 वर्ग मी0 भूमि का भू-उपयोग कुम्भ मेला से आवासीय करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

4 गंगा नदी तट से 200 मी० तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने के सम्बन्ध में ।

शासन द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किये गये कि गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न की जाय । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण को मार्ग-दर्शन हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय तथा शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर ही गंगा नदी व नहर को परिभाषित किया जाय । शासन का निर्णय प्राप्त होने तक डामकोठी तक 200 मी० तक के प्रतिबन्धों को पूर्णरूपेण कड़ाई के साथ लागू किया जाय ।

निर्णयानुसार प्रकरण शासन प्रेषित किया जा चुका है । शासन के निर्देश अपेक्षित है तथा बोर्ड के निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है ।

मद संख्या 28.09

विषय: श्री पारस कुमार जैन शेखुपुरा उर्फ कनखल में स्थित भूमि के क्रय करने के सम्बन्ध में ।

श्री पारस कुमार जैन एवं श्री तोष कुमार जैन की शेखुपुरा उर्फ कनखल की भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय कर ली गई है । क्रय की गई भूमि का क्षेत्रफल 9258 वर्ग मी० व भूमि की कीमत रू० 159.90 लाख है । रू० 16.65 लाख का स्टाम्प एवं निबन्धन पर व्यय होगा । योजना का नामकरण भी किया जाना विचारणीय है । भूमि शहर के मध्य बाईपास रोड़ पर स्थित है । भूमि की स्थिति के अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक काम्प्लेक्स बनाये जाने उचित होंगे ताकि बाहर के लोगों को आवास उचित दरों पर प्राप्त कराये जा सके तथा इनके रहने वालों को मूलभूत सुविधाओं के अन्तर्गत कार्यालय/दुकानों की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके ।

योजना में भूगोह व चार मंजिल तक के निर्माण करने की स्वीकृति के साथ-साथ योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत ड्राइंग व डिजायन आगणन कनसल्टेन्ट के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

आश्रय योजना तथा भाऊराव देवरस योजना के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों योजनाओं हेतु हरिलोक आवासीय योजना में उपलब्ध भूमि का उपयोग इस प्रकार कर लिया जाय जिससे योजना की ओवर-आल लागत पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा कन्वर्जन के माध्यम से आश्रय योजना व भाऊराव देवरस योजना के लक्ष्यों की पूर्ति भी हो जाय तथा प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत योजना एवं संशोधित मानचित्र का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय से प्राप्त कर लिया जाय जिसके लिए बोर्ड द्वारा उन्हें अधिकृत किया गया तथा यह विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश प्राधिकरण के अधिकारियों को दिये गये कि हरिलोक आवासीय योजना की जो संशोधित योजना प्रस्तुत की जायेगी उससे प्राधिकरण को किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं होनी चाहिए ।

निर्णय के अनुपालन में हरिलोक आवासीय योजना में निर्माणाधीन 36 तिर्मंजिले ई0डब्लू0एस0 के साथ लगी भूमि पर तीन मंजिले आवास और बनाकर कुल 48 आवासों से आश्रय योजना के 50 आवासों के लक्ष्य की पूर्ति व जायेगी । इन आवासों की लागत भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल के लिए क्रमानुसार रू0 61600.00, 56800.00 एवं 60000.00 है जिसका औसत मूल्य रू0 59467.00 आयेगा इन आवासों को रू0 15.00 प्रतिदिन की योजनान्तर्गत सब्सीडाइज करते हुए रू0 48000.00 में दिया जाना है । कुल 50 आवासों पर रू0 573350.00 की सब्सीडी देनी होगी जिसकी पूर्ति योजना में प्रस्तावित 750 वर्ग मी0 के स्कूल के भूखण्ड को एच.आई.जी.भूखण्डों में परिवर्तित करते हुए की जायेगी क्योंकि बार-बार विज्ञापन के बाद भी इस स्कूल के भूखण्ड का निस्तारण नहीं हुआ है ।

भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत रिक्त 3 एच.आई.जी.भूखण्डों पर दो मंजिलें 16 मिनी एम.आई.जी.भवनों का निर्माण किया जा रहा है । बार-बार विज्ञापन दिये जाने के बाद भी केवल 11 आवासों की माँग आयी है । अभी केवल आ का निर्माण किया जा रहा है ।

मद संख्या 28.10

विषय: श्यामलोक आवासीय योजना की भूमि क्रय एवं विकास कार्य हेतु हुडको से ऋण प्राप्ति के सम्बन्ध में ।

ऋषिकेश रोड पर भपतवाला में 3.365 हैक्टेयर भूमि पर श्यामलोक योजना विकसित की जा रही है । योजना में उच्च आय वर्ग के 40 भूखण्ड (162.00 वर्ग मी० प्रत्येक), मध्यम आय वर्ग के 40 भूखण्ड (112.50 वर्ग मी० प्रत्येक), दो भूखण्ड ग्रुप हाउसिंग के, 8 भूखण्ड आश्रम एवं एक-एक भूखण्ड होटल एवं व्यावसायिक हेतु प्रस्तावित है । हुडको से भूमि क्रय एवं विकास (मिट्टी भरायी, सड़क, पार्क, जलापूर्ति, विद्युत, सीवर व नाली निर्माण) कार्यों के लिये ऋण लेने हेतु ₹ 373.04 लाख की योजना प्रस्तुत की गयी थी जिसके विपरीत हुडको द्वारा ₹ 275.26 लाख स्वीकृत किया गया है । शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है कि हुडको से ऋण की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के प्रस्ताव की अनिवार्यता है अतः उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

6 विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) द्वितीय संशोधन उपविधि 1998 के संशोधन के सम्बन्ध में । शासनादेश सं०-4167/9-आ-1-98 दि० 29-10-98 के द्वारा प्राप्त द्वितीय संशोधन उपविधि 1998 का अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक दि० 11-12-98 में किया गया । अनुमोदित शमन उपविधि निर्णयानुसार शासन में गजट प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्र सं०-2625 दि० 25 जनवरी 99 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है । निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है ।

(21)

मद संख्या 28.11

विषय: श्री प्रेमनगर आश्रम के स्वीकृत मानचित्र सं०-366/97 के विकास शुल्क को वापिस करने के सम्बन्ध में ।

प्रेमनगर आश्रम का मानचित्र सं०-366/97 दि० 18-4-98 को विकास शुल्क रू० 305025.00 तथा सुपरविजन शुल्क रू० 25419.00 कुल रू० 330444.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराते हुए मानचित्र स्वीकृत किया गया । प्रश्नगत स्थल महायोजना में आर-1 आवासीय उच्च घनता के अन्तर्गत है । संस्था द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इस क्षेत्र को विकसित मानते हुए विकास शुल्क में छूट प्रदान करते हुए रू० 60.00 प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर रू० 30.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास शुल्क लिया जाय, शेष विकास शुल्क वापिस किया जाय । प्रश्नगत स्थल एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में रू० 60.00 प्रति वर्ग मी० की दर से ही विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं । प्रकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या 28.12

विषय: हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना ।

हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए स्थल हरिद्वार महायोजना में ग्राम सीतापुर के नवीन सब्जी मण्डी के पास आरक्षित है । शासनादेश सं0-3081 दि0 9-8-98 में यह निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की योजना कार्यान्वित की जावे जो स्वयं समृद्ध हो । शासन के यह भी निर्देश है कि अच्छे परामर्शदाता द्वारा नगर की ट्रैफिक समस्याओं का अध्ययन कराते हुए विश्व बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं के मानकों के अनुसार एप्रोचडक्यूमेन्ट/रिपोर्ट तैयार की जाय । ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु एप्रोचडक्यूमेन्ट/रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से इस कार्य हेतु टैकनो-इकनोमिक प्रस्ताव प्राप्त किये गये है । प्राप्त प्रस्तावों में से अच्छे प्रस्ताव के चयन हेतु वास्तुविद् की समिति गठित करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है । समिति द्वारा सर्वोत्तम प्रस्ताव के मानदेय/फीस का भी निर्धारण करेगी ।

मद संख्या 28.13

विषय: रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट योजना के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की 26वीं बोर्ड बैठक दि० 15-9-98 के मद सं०-26.02.14(य) में हर की पैड़ी के समीप स्थित पन्तद्वीप, रोडीबेलवाला, रोडी, चण्डीद्वीप आदि के विकास हेतु विचार-विमर्श हुआ था। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि इन क्षेत्रों का लैण्ड स्केपिंग का प्रस्ताव तैयार कराया जाय तथा इससे पार्किंग हटाकर बैरागी कैम्प अथवा बाईपास के दूसरी ओर शिफ्ट किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया था कि इसके सौन्दर्यीकरण/लैण्ड स्केपिंग हेतु स्पॉन्सरिंग के माध्यम से सहयोग लेते हुए अच्छे से भ्रच्छा प्रोजेक्ट बनाकर इन क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण कराया जाय। विचार-विमर्श के उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया था कि विभिन्न स्पॉन्सर को प्रोत्साहित करते हुए उनके डिजाइन अथवा प्रोजेक्ट प्राप्त कर लिये जाय तथा उनमें से सबसे अच्छा एवं किफायती हो, उसका क्रियान्वयन प्राधिकरण द्वारा कराया जाय। अतः हर की पैड़ी के समीप स्थित पन्तद्वीप, रोडीबेलवाला, रोडी, चण्डीद्वीप आदि के विकास के लिए विभिन्न निजी वास्तुविदों से डिजाइन एवं प्लानिंग के प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। सर्वोत्तम प्रस्ताव के चयन हेतु समिति के गठन प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। समिति, सर्वोत्तम प्रस्ताव का मानदेय/फीस का भी निर्धारण करेगी।

(34)

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्य,
उत्तर प्रदेश ।

आवास अनुभाग-1

खनऊ : दिनांक : दिसम्बर 15 , 1998

विषय: विकास प्राधिकरण (अपराधों का समन) संशोधन उपविधि 1998 में आवश्यक परिष्कार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4167/9-आ-1-98 दिनांक 29.10.98 द्वारा जारी विकास प्राधिकरण (अपराधों का समन) (द्वितीय संशोधन) उपविधि, 1998 के प्रारूप पर शासन स्तर पर किए गए पुनर्विचारोपरान्त उक्त उपविधि में निम्नलिखित परिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. उपविधि के पैरा-3 (3) में (पृष्ठ-3 पर) द्वितीय पंक्ति में एफ.ए.आर. "120 से अधिक" के स्थान पर "120 या उससे अधिक" रख दिया जाए । इसी प्रकार अनुसूची (पृष्ठ-3) की प्रविष्टि संख्या 2 (ख) के अन्तर्गत "अनुमत्य एफ.ए.आर. 120 से अधिक" के स्थान पर "अनुमत्य एफ.ए.आर. 120 या उससे अधिक" रख दिया जाए ।
2. उपविधि के पैरा-3(3) में (पृष्ठ-3 पर) निम्नलिखित बड़ा दिया जाए :-
"भूतल पर केवल कवर्ड पार्किंग हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन (यदि फ्लैट पार्किंग के अतिरिक्त कवर्ड पार्किंग का प्राविधान किया गया है), शामिल करते हुए कुल 15 प्रतिशत भू-आच्छादन शक्तीय होगा" ।
3. उपविधि के पैरा-3 (4) में (पृष्ठ-3 पर) उल्लिखित प्राविधान के स्थान पर निम्नलिखित प्राविधान रख दिया जाए:-
"शुभ हाउसिंग हेतु निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल से अधिकतम 49 प्रतिशत कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर शुभ हाउसिंग का निर्माण निर्धारित दूरी पर शक्तीय होगा यदि अभिनयमन सुरक्षा तथा भवन की अधिकतम उंचाई हेतु निर्धारित अपेक्षाएं पूर्ण हों" ।

उपविधि पैरा-3 (6) में (पृष्ठ-3) पर निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :-

"यदि बेसमेंट का उपयोग किंग/स्टोरेज/सेवाओं के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग में हो, तो प्लॉट गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी तथा पार्किंग के काम हुए क्षेत्रफल से पार्किंग शुल्क देय होगा "

अनुसूची (पृष्ठ-4) की प्रविष्टि-3 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-

3. (क) न्यूनतम निर्धारित क्षेत्रफल से 20 प्रतिशत कम क्षेत्रफल के मूखण्ड में ग्रुप हाऊसिंग निर्माण होने पर काम हुए शमनीय क्षेत्रफल हेतु, ₹ 100/- प्रति वर्ग मीटर,

(ख) न्यूनतम निर्धारित क्षेत्रफल से 40 प्रतिशत कम क्षेत्रफल के मूखण्ड में ग्रुप हाऊसिंग निर्माण होने पर, काम हुए शमनीय क्षेत्रफल हेतु। प्रथम 20 प्रतिशत हेतु ₹ 100/- प्रति वर्ग मीटर तथा अनुवर्ती 20 प्रतिशत हेतु ₹ 200/- प्रति वर्ग मीटर ।

(ग) 35 प्रतिशत से अधिक भू-आच्छादन (परन्तु अधिकतम अतिरिक्त भू-आच्छादन 25 प्रतिशत) पर, सामने पार्श्व/पीछे के सैट-बैक में, अतिरिक्त भू-आच्छादन हेतु भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत ।

(घ) अनुमन्य भू-आच्छादन (अधिकतम 60 प्रतिशत) के अन्तर्गत प्रथम एवं अनुवर्ती तलों पर 150 से अतिरिक्त (परन्तु अधिकतम 210) एफ.ए.आर. पर, ₹ 400/- प्रति वर्ग मीटर ।

(ङ.) पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान उपलब्ध न होने पर । अनुसूची की प्रविष्टि-3 में दी गई दर के अनुसार ।

उपविधि की टिप्पणी में (पृष्ठ-6 पर) निम्नलिखित का समावेश किया जाय :-

"ऐसे लम्बित मामले जिनमें शर्त शुल्क जमा किया जा चुका है, के सम्बन्ध में यदि कामपाउण्डिंग आदेश जारी नहीं हुआ है, तो विद्विष्टक शमन योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऐसे आवेदक उक्त अवधि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते हैं।"


करेंगे । जिन मामलों में कम्पाउण्डिंग आदेश जारी हो चुका है, को इस योजना में नहीं लिया जाएगा " ।

(ii) "जिन मामलों में पहले कम्पाउण्डिंग हो चुकी है तथा उसके अनुसार भवन का जो भाग ध्वस्तीकरण हेतु दर्शाया गया था, उक्त भाग या उसका अंश यदि इस उपविधि के अन्तर्गत शक्तीय है, तो उसकी कम्पाउण्डिंग उपविधि की अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर की जा सकेगी" ।

(iii) "नज़ूल भूमि पर निर्माण होने की दशा में, नज़ूल भूमि हेतु भू-प्रयोग परिवर्तन की प्रक्रिया नज़ूल नीति में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुसार रहेगी । 30 प्र० (नगर योजना और विकास) अधिनियम, 1973 के प्रसंग में कोई भी कम्पाउण्डिंग केवल निर्मित भवन के लिए लागू होगी, भूखण्ड अथवा भूमि के लिए नहीं" ।

(iv) "अनुसूची की प्रविष्टि संख्या-4 में अंकित दरों में शमन शुल्क की गणना करते समय भूमि मूल्य एक बार ही लिया जाएगा न कि प्रत्येक अनुवर्ती तलों पर" ।

अतएव यह अनुरोध है कि प्रारूप उपविधि में उपरोक्त परिष्कारों का समावेश करते हुए द्वितीय संशोधन उपविधि विकास प्राधिकरण से अंगीकृत कराकर शासन को अनुमोदन एवं प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।


भवदीय,


(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव ।

पुष्टांकन संख्या-5079/अम-78, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(रामकृष्ण प्रसाद)
सं० सचिव ।

अन्य विषय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

मद संख्या २८.१४.१

विषय: ऋषिकेश महायोजना क्षेत्र में स्थित ग्राम गौहरी माफी को हरिद्वार विकास क्षेत्र में सम्मिलित करने पर विचार

शासन की अधिसूचना सं०-३६६२/११-५-८६-२३(१)/डी.ए.-८५ लखनऊ, ४ जून १९८६ द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये हरिद्वार विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया था । इस अधिसूचना के अनुसार हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश मार्ग एवं गंगा के मध्य स्थित समस्त क्षेत्र को हरिद्वार विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है परन्तु ग्राम गौहरी माफी जो कि इस क्षेत्र के मध्य स्थित है, त्रुटिवश अधिसूचित नहीं हो पाया है । हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग "ब" हेतु ऋषिकेश महायोजना प्रारूप २००१ तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये हैं । यह प्रारूप महायोजना गौहरी माफी ग्राम को विकास क्षेत्र में सम्मिलित करते हुये तैयार की गई है जो कि वैधानिक नहीं है । ग्राम गौहरी माफी विकास क्षेत्र के मध्य स्थित है जिस कारण इसको महायोजना से पृथक करना भी उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः आवश्यक प्रतीत होता है कि अधिसूचना संख्या -३६६२/११-५-८६-२३(१)/डी. ए.-८५ लखनऊ, ४ जून १९८६ में संशोधन कर गौहरी माफी ग्राम को हरिद्वार विकास क्षेत्र में सम्मिलित करवाया जाये । प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

मद संख्या २८.१४.२

विषय: आश्रय विहीन व्यक्तियों के लिये संचालित आश्रय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था एवं आश्रयों के आवंटन के सम्बन्ध में ।

आश्रय योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवास अनुभाग-१ द्वारा निर्गत शासनादेश सं०-२०२७/६-आ-१-१६६८ दि० ३०-०५-६८ एवं शासनादेश सं०-१३०३/६-आ-१-६८ दि० ७-४-६८ द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :-

१. लाभार्थियों की सहकारी आवास समितियों गठित की जाय तथा इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही हेतु केवल सन्दर्भित श्रेणी की आवास समितियों के पंजीकरण हेतु उप निबन्धक, आवास एवं विकास परिषद के समस्त अधिकारी, उ०प्र०सहकारी आवास संघ के महाप्रबन्धक (जो उपनिधक स्तर के अधिकारी हैं) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम १६६१ की धारा ३(२) सपठित धारा २(४) के अन्तर्गत पदनामित किये जाने की कार्यवाही की जाय ।

२. इस प्रकार की सहकारी आवास समितियाँ यथा सम्भव एक प्रकार के "होमोजीनियस" ग्रुप पर आधारित हो, जिससे ये समितियाँ साझेदारी के सिद्धान्त पर आपसी हितों की सुरक्षा करते हुए वसूली आदि का उत्तरदायित्व भी सफलतापूर्वक वहन कर सकें ।

३. पंजीकरण निम्न सदस्यों की प्रबन्ध समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त किया जायेगा ।

- (I) महाप्रबन्धक, आवास संघ ।
- (II) आवास आयुक्त के द्वारा नामित सदस्य ।
- (III) प्राधिकरण के द्वारा नामित सदस्य ।

उक्त के साथ-साथ यह प्रबन्ध समिति योजना के सम्पूर्ण निष्पादन के लिये भी उत्तरदायी होगी ।

४. समिति बनाने से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने का दायित्व सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद का होगा ।

५. आवास संघ द्वारा किसी सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण दिये जा सकने के कारण आवंटियों की समिति बनने के तुरन्त बाद हितबद्ध व्यक्तियों को विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के द्वारा भवन आवंटन पत्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे ।

६. लाभार्थियों को योजना की समस्त जानकारी उपलब्ध कराने एवं ऋण स्वीकृत करने की समस्त औपचारिकता पूर्ण करने का दायित्व सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद का होगा । आवंटियों की सहकारी आवास समिति इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी ।

७. आवास संघ, हितबद्ध व्यक्ति तथा विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा तथा स्वीकृत ऋण की पूर्ण धनराशि आवास संघ द्वारा लाभार्थी के स्थान पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

८. आवास संघ द्वारा दिये गये ऋण की वसूली का दायित्व आवास संघ का ही होगा तथा आवंटियों की सहकारी समिति इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी ।

उक्त के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि सहकारी आवास समिति के गठन में अनुभव की गयी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी सामान्य आवंटन नियमावली के आधार पर ही आश्रयों के आवंटन की कार्यवाही की जा रही है । हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा आश्रय योजना के भवन स्वयं के वित्तीय स्रोत से ही बनाये जा रहे हैं । अतः प्राधिकरण में लागू सामान्य आवंटन नियमावली के आधार पर ही सार्वजनिक भूमि पर अध्यासित ऐसे व्यक्ति जो कि उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९६७ के प्रारम्भ होने के दिनांक २-५-६७ को सार्वजनिक भूमि पर काबिज है, एवं जिनकी आय गरीबी रेखा से कम है में से ही लाभार्थी का चयन करते हुए आश्रयों का आवंटन तथा लागत की वसूली सीधे प्राधिकरण द्वारा ही किया जाना उचित होगा । अतः प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।